बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड
Bihar State Power (Holding) Company Limited
बिहार सरकार का उपक्रम (A Govt. of Bihar Undertaking)
सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Administration)
TINVAT No.10011255025 CIN- U40102BR2012SGC018495

विभागीय परीक्षा–2017
सामान्य निदेश

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों के विभिन्न संवर्गो में कार्यरत यथा सहायक/ लिपिकीय वर्ग–IV/ कनीय लिपिक/ भंडार सहायक/ दिनचर्या लिपिक (टंकक–सह–लिपिक)/ कनीय लेखा लिपिक/ कनीय लेखा सहायक/लेखापाल/आई0टी0 अस्सिटेंट का विभागीय परीक्षा–2017 का आयोजन दिनांक 09/01/2018 से 12/01/2018 तक डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल, बोर्ड कॉलनी, न्यू पुनाईचक, पटना स्थित परीक्षा केन्द्र पर आयोजित है।

- यह विभागीय परीक्षा–2017 सहायक (उच्च वर्गीय सहायक का पाठ्यक्रम)/ लिपिकीय वर्ग–IV/कनीय लिपिक/भंडार सहायक/दिनचर्या लिपिक (टंकक–सह–लिपिक)/ कनीय लेखा लिपिक/कनीय लेखा सहायक संवर्ग के लिए पुराने पाठ्यक्रम/पुराने पैटर्न एवं लेखापाल/आई0टी0 अस्सिटेंट संवर्ग के लिए नये पाठ्यक्रम पर आधारित होगी।
- प्रवेश पत्र पर वांछित सूचना भर कर (जहाँ आवश्यक हो) एवं अद्यतन फोटो पर अपने नियंत्री पदाधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर लाना आवश्यक है। वांछित प्रवेश–पत्र के अभाव में किसी भी परिस्थिति में परीक्षा में भाग लेने नहीं दिया जायेगा।
- परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने से 15 मिनट पहले आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- परीक्षार्थी अपना नाम/क्रमांक/विभागीय परीक्षा का नाम एवं मांगी जाने वाली अन्य जानकारी उत्तर पुस्तिका में उचित स्थान पर स्पष्ट अंकित करेंगे। किसी तरह का चिन्ह्/सूचक उत्तर पुस्तिका में दर्ज करने पर अयोग्य किये जायेंगे।
- किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा मोबाईल, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक चीप, केलकूलेटर, डिजीटल केलकूलेटर, डिजीटल घड़ी, ब्लूटूथ आदि का प्रयोग नहीं किया जाना है। परीक्षा के दौरान यदि इस प्रकार का उपकरण अभ्यर्थी के पास से पाया जाता है, तो उसे जब्त कर परीक्षार्थी को उन्हें परीक्षा से निकासित किया जायेगा।
- परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका एवं प्रश्न पत्र पर दिये गये सभी निर्देश का अक्षरशः पालन करेंगे।
- परीक्षा हॉल में शांति बनाये रखेंगे। परीक्षा हॉल में नकल करते हुए पकड़े जाने पर परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है एवं नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

4/1/18

(राकेश रंजन)
विशेष कार्य पदाधिकारी (मा0सं0/प्रशा0)